न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 9/2023

उनवान

प्रहलाद चौधरी पुत्र कन्हैयालाल चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
— अप्रार्थी :— जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश :: दिनांक :— 16.6.23

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 179/1746 रकबा 0.07 की आराजी प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थी अपने खेतों पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 179 में से होकर आवागमन करता है। खसरा नम्बर 179 सिवायचक भूमि है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता विधमान नही है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 179 में से 30 फिट चौडा रास्ता प्रदान किया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 179/1746 रकबा 0.07, 179/1747 रकबा 0.04 व 180 रकबा 0.33 किता 3 रकबा 0.44 की आराजी प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 179 रकबा 0.75 [illegible] नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी [illegible] आवागमन हेतु कोई लघुतम/दीर्घतम रास्ता उपलब्ध नही है। [illegible] मार्ग अजमेर–भीलवाडा राष्ट्रीय राजमार्ग से [illegible] 79 में से लगभग 306 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। प्रार्थी द्वारा नवीन रास्ते के लिये विकल्प पेश किया है [illegible] मार्ग हेतु खसरा नम्बर 179 में से 270 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। प्रार्थी के कथन अनुसार उक्त मार्ग छोटा है किन्तु उक्तानुसार मार्ग प्रदान करने से खसरा नम्बर 179 दो भाग में विभाजित होगा। रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:00:28 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में चाहे गये रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होती है। प्रार्थना पत्र के खण्डन के तथ्य पत्रावली पर नही है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। प्रार्थी द्वारा बताये गये विकल्प से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 179 के दो टुकडे होते है। अतः प्रार्थी भू अभिलेख की निरीक्षक की रिपोर्ट में प्रस्तावित मार्ग प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रार्थी को ग्राम दिलवाडा के खसरा नम्बर 179 में से 306 (30 फिट चौडा) वर्ग मीटर भूमि रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा नम्बर 179 की मुआवजा डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि 246713/ अक्षरे दो लाख छियालीस हजार सातः सौ तेरह रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:00:28 IST
Reason: SelfAttested